[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (II)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the October, 2010.

(INCOME-TAX)

S.O. .-Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section(4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section ii vide number S.O. 51(E), dated the 8th January, 2008 and amended vide number S.O. 1605 (E), dated the 2nd July, 2008, for the period beginning on the 1st day of April, 2006 and ending on the 31st day of March, 2009;

And whereas, M/s. Noida Cyber Park Private Limited, having its registered address at 18, Rouse Avenue, Kotla Lane, New Delhi- 110 002, has developed an Industrial Park at Plot No. C-28 and C-29, Sector-62, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of subsection (4) of section 80-IA of the said Act read with Rule 18 C of the Income-tax Rules, 1962, and subject to the provisions of Industrial Park Scheme, 2008, the Central Government hereby notifies M/s. Noida Cyber Park Private Limited, New Delhi, as an undertaking and the project at C-28 and C-29, Sector-62, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201 301, being developed and being maintained and operated by the said undertaking, as an industrial park for the purposes of the said clause. 2. The aforesaid Industrial Park shall be deemed to have been developed on and from the 11th June, 2010.

3. This notification shall not be applicable if it is for a location of the Industrial Park for which notification has already been issued in the name of any other undertaking.

4. No amendment of the project plan shall be made without the approval of the Central Government.

[Notification No.81/2010 F.No.178/29/2009-ITA.1]

RAMAN CHOPRA) **DIRECTOR-ITA.1**

To

The Manager Government of India Press Ring Road, Mayapuri Industrial Area, (Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारतीय राजपत्र भाग-11, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

عد 26 /لر، नई दिल्ली, अक्तूबर, 2010

(आयकर)

का.आ. जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8 जरवरी, 2008 की का.आ.सं. 51(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग–II, खंड 3, उपखंड ii में प्रकाशित तथा दिनांक 2 जुलाई, 2008 की का.आ.सं. 1605(अ) के तहत संशोधित अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल, 2006 को शुरू होने वाली एवं 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना निर्मित एवं अधिसूचित की है ;

और जबकि मैसर्स नौएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता 18, राउज एवेन्यू, कोटला लेन, नई दिल्ली–110002 में है, ने प्लॉट संख्या सी–28 एवं सी–29, सेक्टर–62, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है;

अत: अब आयकर नियमावाली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा औद्योगिक पार्क योजना, 2008 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मैसर्स नौएडा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड को एक उपक्रम के रूप में तथा उक्त उपक्रम द्वारा सी–28 एवं सी–29, सेक्टर–62, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301 में विकसित अनुरक्षित एवं प्रचालित की जा रही परियोजना को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त औद्योगिक पार्क को 11 जून, 2010 से विकसित हुआ माना जाएगा।

...../2-

3. यह अधिसूचना लागू नहीं होगी यदि यह एक ऐसे औद्योगिक पार्क के अवस्थान के लिए जिसके लिए अधिसूचना पहले ही किसी अन्य उपक्रम के नाम पर जारी की जा चुकी है।

4. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना की योजना में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या ११/२०७ फा.संख्या 178/29/2009-आ.क. नि.-।]

2-1145.

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।